न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी जसवन्त सिंह, आर.ए.एस.

अपील संख्या 67/2024 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2024/69)

मेहर सिंह पुत्र स्व. श्री अर्जुन सिह जाति खाती सिख निवासी चक 22 ए. जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ हाल निवासी 794 न्यू बी. आर.एस. नगर, लुधियाना (पंजाब)

अपीलान्ट

बनाम

1. लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरमेल सिह पुत्र स्व. श्री अर्जुन सिह
2. बलवीर सिह पुत्र श्री गुरमेल सिह पुत्र स्व. श्री अर्जुन सिह
3. जगसीर सिंह पुत्र श्री आत्मा सिंह पुत्र स्व. श्री अर्जुन सिह
4. जगदीप सिह पुत्र श्री आत्मा सिंह पुत्र स्व. श्री अर्जुन सिह
5. आत्मा सिह पुत्र स्व. श्री अर्जुन सिह
6. गुरमेल सिह पुत्र स्व. श्री अर्जुन सिह
   जाति खाती सिंख निवासीगण चक 22 ए.जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
7. करनेल सिह पुत्र स्व. श्री अर्जुन सिह जाति खाती सिख चक 22 ए. जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ हाल निवासी पिण्ड सुनेत, शाम नगर, लुधियाना (पंजाब)
8. जोरा सिह पुत्र स्व. श्री अर्जुन सिह जाति खाती सिख निवासी चक 22 ए.जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ हाल निवासी पिण्ड सुनेत, राजगुरू नगर, लुधियाना (पंजाब)
9. निरंजन सिह पुत्र स्व. श्री अर्जुन सिह जाति खाती सिख निवासी चक 22 ए.जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ हाल निवासी भुलर भुटर तहसील व जिला मोगा (पंजाब)
10. उपपंजीयक रावतसर जिला हनुमानगढ
11. राजस्थान राज्य

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री ज्ञानसिह बिश्नोई – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मदन सुरोलिया – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 6
3. श्री दिनेश सिह बिश्नोई – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 7, 8, 9

निर्णय **दिनांकः 26.11.2025**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर प्रकरण संख्या 16/2023 के निर्णय दिनांक 03.04.2024 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट मेहरसिह एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 7 करनेलसिह, रेस्पोडेन्ट संख्या 8 जोरा सिह, रेस्पोडेन्ट संख्या 9 निरंजन सिह ने अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिला कलक्टर नोहर में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर तहसीलदार राजस्व रावतसर के निर्णय दिनांक 13.06.2023 तथा उसके आधार पर दर्ज व तस्दीक नामान्तरण सं. 328 दिनांक 28.06.2023 को अपास्त करने का निवेदन किया। जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 03.04.2024 द्वारा अपील खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट मेहर सिंह द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 7, 8, 9 के अभिभाषक बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं एवं प्रस्तुत लिखित बहस को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 5 ता 9 के पिता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के दादा स्व. अर्जुन सिह एवं स्व. स्वर्ण सिह दोनो सगे भाई थे। स्व. स्वर्ण सिह अविवाहित थे। स्व. अर्जुन सिह एव स्व. स्वर्ण सिह के नाम चक 22 ए.जी. तहसील रावतसर के प. नं. 172/386 मु. नं. 40 के किला नम्बर 16 व 25/2 में 0.4810 है. भूमि अनकमाण्ड एवं प. नं. 172/386 मु. नं. 40 के किला 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 8 व 13 ता 15 एवं पं. नं. 173/386 मु. नं. 39 के किला नम्बर 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/26/1, 6/2, 7 ता 14, 15/1 एवं 15/2 की कुल तादादी 6.3250 है. कमाण्ड अनकमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि थी। जिसमें स्व. अर्जुन सिह एवं स्व. स्वर्ण सिह का बहिस्सा बराबर था। स्व. स्वर्णसिह जो कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ता 9 के साथ समान रूप से रहते थें तथा उनकी सेवा चाकरी समान रूप से करते थे। जिसके चलते स्व. स्वर्ण सिह ने अपने उक्त कृषि भूमि 1/2 हिस्से की वसीयत अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं. 5 ता 9 के पक्ष मे उप पजीयक रावतसर के समक्ष दिनांक 20.04.2006 को निष्पादित करवाई थी। इस वसीयत मे रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 को अन्यो की अपेक्षा अधिक भूमि दी गई थी। स्वर्ण सिह का देहान्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 01.05.2022 को 93 वर्ष की उम्र में हो गया। वसीयत दिनांक 20.04.2006 के अनुसार कृषि भूमि का नामान्तरण करवाने हेतु निवेदन किया गया। तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 ने स्व. स्वर्णसिंह की दिनांक 24.11.2021 की वसीयत दिखाते हुए कहा कि हमने स्व. स्वर्ण सिंह की सम्पूर्ण भूमि की वसीयत हमारे हक में करवा ली है हम वसीयत के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करवा कर कृषि भूमि को बेच देंगे। तत्पश्चात् अपीलान्ट ने स्व. स्वर्ण सिंह की वसीयत दिनांक 24.11.2021 को निरस्त करवाने हेतु एक वाद सिविल न्यायाधीश रावतसर के समक्ष पेश किया जो अभि विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 382/2022 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 के विरूद्व दर्ज करवाई गयी। स्व.स्वर्ण सिंह वर्ष 2021 में अत्यन्त अस्वस्थ थे, इस समय इनकी उम्र 93 वर्ष थी, इस उम्र मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 ने लालच वंश स्व.स्वर्ण सिंह से धोखाधड़ी पूर्वक उनकी इच्छा के विरूद्व दिनांक 24.11.2021 को वसीयत करवा ली एवं सिविल न्यायालय व राजस्व न्यायालय मे वाद पत्रो के विचाराधीन होने की स्थिति में भी तहसीलदार राजस्व ने बिना किसी वारिस को सुने विधि विरूद्व तरीके से नामान्तरकरण संख्या 328 दर्ज कर दिया। सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.09.2025 के विरूद्व अपीलान्ट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2024 एवं नामान्तकरण संख्या 328 दिनांक 28.06.2023 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 ता 6 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि उक्त विवादित भूमि स्व. स्वर्णसिंह की स्वअर्जित भूमि थी, स्वर्णसिंह द्वारा दिनांक 24.11.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है। वसीयत सब रजिस्ट्रार से तस्दीक शुदा है। अपीलान्ट ने वसीयत को अवैध व शून्य प्रभावहीन घोषित करवाने के लिए विरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, रावतसार में दीवानी प्रकरण संख्या 09/2022 दावा पेश किया । न्यायालय विरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, रावतसार ने अपने निर्णय दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

15.09.2025 द्वारा अपीलान्ट का दावा खारिज कर वसीयत दिनांक 24.11.2021 को सही मान लिया गया है। अतः तस्दीक शुदा वसीयत के आधार पर चढाया गया नामान्तरकरण संख्या 328 दिनांक 28.06.2023 यथावत रखते हुए अपीलान्टं की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 03.04.2024 के विरूद्व पेश की गई है जिसके द्वारा तहसीलदार रावतसर द्वारा दिनांक 24.11.2021 को निष्पादित वसीयत के अनुसार निर्णय दिनांक 13.06.2023 पारित किया गया एवं नामान्तरण संख्या 328 दिनांक 28.06.2023 भरा गया है जिसको सही माना है। वसीयत दिनांक 24.11.2021 के संबध में अपीलान्ट ने वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश रावतसर में दावा बाबत वसीयत को अवैध व शून्य प्रभावहीन घोषित करवाने प्रस्तुत किया। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश रावतसर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.09.2025 को पारित कर अपीलान्ट का वसीयत दावा अस्वीकार कर दिया। उक्त विवेचन के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.04.2024 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 26.11.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसवन्त सिंह)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर